कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दतिया मध्यप्रदेश

–:: निविदा ::–

इस न्यायिक जिला स्थापना पर वाहन स्टैण्ड का संचालन निर्धारित शर्तों के अध्याधीन करने हेतु ठेका दिया जाना है, जिसके संबंध में इच्छुक व्यक्ति अथवा संस्थान **दिनांक 18/04/2022 को प्रातः 11:00** बजे न्यायालय परिसर में उपस्थित होकर वाहन स्टैण्ड के ठेके हेतु खुली बोली/नीलामी में सम्मिलित हो सकते हैं।

निविदा की शर्तें निम्नानुसार हैं :–

01. नीलामी में उपस्थित व्यक्ति को रू. 5000/– जिला नाजिर के समक्ष अमानत राशि के रूप में जमा करनी होगी । उक्त राशि नियमानुसार वापसी योग्य होगी ।
02. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा "स्वच्छ न्यायालय अभियान" के अन्तर्गत साफ–सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा ।
03. वाहन का ठेका जिस निविदाकर्ता का स्वीकृत किया जावेगा उसे ठेके की राशि का 3 माह की राशि एक मुश्त अग्रिम जमा कराना होगा ।
04. ठेके की राशि प्रत्येक माह की 10 तारीख तक आवश्यक रूप से जिला नाजिर दतिया के पास जमा करनी होगी ।
05. वाहन स्टैण्ड का मासिक ठेका राशि रूपये 15314/– (पंद्रह हजार तीन सौ चौदह रूपये) है। उक्त राशि से सबसे अधिक राशि की निविदा स्वीकार की जावेगी ।
06. वाहन स्टैण्ड ठेकेदार द्वारा कोरोना गाईड लाईन का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
07. वाहन स्टैण्ड ठेकेदार ऐसी कोई गतिविधि या कार्यवाही नहीं करेंगे जिससे कि शासकीय सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति कारित होती हो ।
08. ठेके का उपठेका नहीं दिया जा सकेगा
09. वाहन स्टैण्ड का ठेका आवंटन/निरस्त के संबंध में एकमात्र विवेकाधिकार प्रधान जिला न्यायाधीश का होगा।
10. वाहन स्टैण्ड ठेके की अवधि दो वर्ष अथवा आगामी आदेश तक की होगी ।
11. वाहनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी । वाहन खराब होने, चोरी होने की दशा में वाहन स्वामी को चोरी गये वाहन की राशि का भुगतान करना होगा ।
12. साइकिल/स्कूटर/दो पहिया/चार पहिया वाहन की पार्किंग शुल्क निम्नानुसार होगी :–

साइकिल –	5/– रू. प्रतिदिन
स्कूटर/दो पहिया–	10/– रू. प्रतिदिन
चार पहिया –	20/– रू. प्रतिदिन

13. ठेकेदार द्वारा वाहन स्वामी को वाहन रखने हेतु टोकन दिया जाना आवश्यक होगा ।
14. यदि ठेकेदार द्वारा निरंतर दो माह तक मासिक किराया अदा नहीं किया जाता है, तो उसकी संपूर्ण जमा सुरक्षा निधि राजसात की जाकर ठेका निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
15. वाहन स्टैण्ड के ठेके में भाग लेने वाले व्यक्ति के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी अपराधिक अथवा सिविल मामला लंबित नहीं होना चाहिये।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दतिया, (म0प्र0)